रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122020-223913
CG-DL-E-23122020-223913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 660] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 23, 2020/पौष 2, 1942
No. 660] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942

कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 59 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (छ) और (ज) और उक्त अधिनियम की धारा 40 और धारा 42 की उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लेखाओं की तैयारी के लिए प्ररूप और समय और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष(ओं)के लिए बजट, लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाने और लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों को बनाए रखने के लिए प्ररूप और लोकपाल के लेखा के वार्षिक विवरण के प्ररूप का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोकपाल (वित्तीय और लेखा) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "वार्षिक विवरण" से वित्त लेखा का विवरण, केंद्रीय संव्यवहार का विवरण (एससीटी) और अन्य सामग्री अभिप्रेत है जो भारत सरकार के सिविल मंत्रालयों या विभागों के मामले में लागू हो और सिविल लेखा निर्देशिका या किसी लागू नियम यथा विहित ऐसे प्ररूप में हो;

(ग) "लेखा परीक्षा अधिकारी" से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) "बजट" से संविधान के अनुच्छेद 112 के उपबंधों के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 43 (1) के अधीन यथा निर्देशित बजट अभिप्रेत है;

(ड) "वित्तीय वर्ष" से सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 42 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 2 के खंड (xiv) के अधीन यथा परिभाषित वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के,जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

3. **बजट तैयार करना, विनिर्मित करना और प्रस्तुत करना -** बजट को विनिर्मित करना संविधान के अनुच्छेद 112 से 116 के साथ पठित सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 43 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण - इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -

(क) बजट प्राक्कलन की तैयारी के लिए, लोकपाल उन दिशानिर्देशों का पालन करेगा जो उसे सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 43 के उप-नियम (4) के उपबंधों के अनुसार वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं ।

(ख) प्रस्तावित बजटीय उपबंध का प्रारूपण करने के प्ररूप और रीति को सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 44, 45 तथा 50 के निबंधनानुसार विनियमित किया जाएगा और उसका प्राक्कलन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदान की मांग में परिलक्षित होगा ।

(ग) लोकपाल निम्नलिखित का भी पालन करेगा: -

(i) सरकारी लेखा नियम, 1990;

(ii) केन्द्रीय सरकार लेखा (रसीदें और भुगतान) नियम 1983;

(iii) सिविल लेखा निर्देशिका;

(iv) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017।

[फा. सं. 407/03/2015-एवीडी-IV(बी)]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2020

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 read with clauses (g) and (h) of sub-section (2) of section 59 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) and section 40 and sub-section (1) of section 42 of the said Act, the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India hereby makes the following rules to provide the form and time for preparing of Accounts in each financial year and the budget for subsequent financial year(s), showing the estimated receipts and expenditure of the Lokpal and the form for maintaining the accounts and other relevant records and the form of annual statement of accounts of the Lokpal, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Lokpal (Finance and Account) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013(1 of 2014);

(b) "Annual Statement" means Statements of Finance Accounts, Statement of Central Transactions (SCTs) and other materials as applicable in the case of Civil Ministries or Departments of Government of India and in such form as prescribed in the Civil Accounts Manual or any applicable rules;

(c) "Audit Officer" means the Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in this behalf;

(d) "Budget" means the budget as referred under rule 43(1) of the General Financial Rules, 2017 read with provisions of the article 112 of the Constitution;

(e) "financial year" means the financial year as defined under clause (xiv) of rule 2 of the General Financial Rules, 2017 read with rule 42 of the General Financial Rules, 2017;

(f) "section" means the section of the Act.

(2) words and expression used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Preparation, formulation and submission of the Budget.—**The formulation of budget shall be regulated in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 43 of General Financial Rules, 2017 read with article 112 to 116 of the Constitution;

Explanation.- For the purpose of these rules,-

(a) for the preparation of budget estimates, the Lokpal shall adhere to the guidelines as may be issued from time to time by the Ministry of Finance, Budget Division in terms of provisions of sub-rule (4) of rule 43 of General Financial Rules, 2017.

(b) the forms and manner of drawing up the proposed budgetary provision will be regulated in terms of rules 44, 45 and 50 of General Financial Rules, 2017 and the estimate will be reflected in the Demand for Grants of the Ministry in Department of Personnel and Training.

(c) the Lokpal shall also adhere to,-

(i) the Government Accounting Rules, 1990;

(ii) the Central Government Accounts (Receipts and Payments) Rules 1983;

(iii) the Civil Account Manual;

(iv) the General Financial Rules, 2017.

[F. No. 407/03/2015-AVD-IV(B)]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA